सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

#OPERATION_CLEAN #OPERATION CRACKDOWN

प्रेस नोट- दिनांक 08/06/2024

सोने की चैन की लूट करने वाले 01 शातिर गैंगस्टर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में तथा उसके साथी सहित कुल 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 32 बोर किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स एवं थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.04.2024 को वादिनी रानी देवी पत्नी गनेश बाबू निवासी तुलसी नगर, फ्रेंडस कॉलोनी इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 03.04.2024 को समय करीब 15.00 बजे जब वह बाजार से वापस लौट रही थी तभी राधे- राधे कॉलोनी पर बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति वादिनी की सोने की चेन लूटकर भाग गये। सूचना के आधार पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर **मु0अ0सं0 79/24 धारा 392 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 07/08.06.2024 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भरथना चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मण्डी की तरफ से मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हे पुलिस टीमों द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये मोटर साइकिल चालक को मौके पर ही **समय 2:45 बजे** पकड लिया गया। तथा **बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमबी एक्ट के तहत सीज किया गया।** मोटरसाइकिल सवार दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत थी।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी अभियुक्त डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरि नारायण के कब्जे से सोने की चेन बरामद हुयी। पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 03.04.2024 को वह उसके साथी विशाल जाटव राधे- राधे कॉलोनी से 01 महिला के गले की चेन की लूटकर भाग गये थे(घटना के संबंध मे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर मु0अ0सं0 79/2024 धारा 392 भादवि पंजीकृत है) तथा साथ ही बताया कि दिनांक 30.01.24 को थाना सिविल लाइन्न क्षेत्रान्तर्गत सैण्ट मैरी स्कूल के पास महिला से चेन लूटने का प्रयास किया था(घटना के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 43/24 धारा 393 भादवि पंजीकृत है)।

अभियुक्त डेविड सोनी ने बताया हम लोग अपराध कारित करने एवं लोगो को डराने के उद्देश्य से वह अवैध पिस्टल भी साथ रखते है तथा लूट की घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल व पिस्टल दतावली नहर पुल से लोकासाई की तरफ जाने वाले रास्ते पर झाडियों मे छिपा कर रखी है।

अभियुक्त की निशांदेही पर पुलिस टीम घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व पिस्टल बरामद करने पहुंची तो अभियुक्त द्वारा झाडियों से पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 02 फायर किये गये जिससे एक गोली पुलिस की गाडी के बोनट मे लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो 01 गोली अभियुक्त डेविड सोनी के बांये पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में **01 पिस्टल 32 बोर , 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 32 बोर सहित दतावली नहर पुल से लोकासाई की तरफ जाने वाले रास्ते से समय 05:32 बजे** गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 121/2024 धारा 307/420/465/411/413/414 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम मे कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 08.06.2024 को पुलिस टीम द्वारा प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **अभियुक्त विशाल जाटव पुत्र सुरेन्द्र सिंह को ग्राम देशरमऊ के पास से समय 11:40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरि नारायण सोनी निवासी रामगंज ढाल थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष।**
2. विशाल जाटव पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी बरही पुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 23 वर्ष।**

नोटः- गिरफ्तार अभियुक्त डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरि नारायण सोनी एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध लूट,चोरी व हत्या का प्रयास आदि के संबंध मे विभिन्न धाराओं मे 11 अभियोग पंजीकृत है

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 121/2024 धारा 307/420/465/411/413/414 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरि नारायण सोनी कुल अभियोग -11

1. मु0अ0सं0 83/2020 धारा 380/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 276/2020 धारा 380/411 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 305/2020 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 432/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 545/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 253/2021 धारा 307/420/468/482 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 287/2021 धारा 342/376(डी)/394/411/414/452 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 62/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढपुरा जनपद इटावा।

9. मु0अ0सं0 43/24 धारा 393 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
10. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
11. मु0अ0सं0 121/2024 धारा 307/420/465/411/413/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा

अभियुक्त विशाल जाटव पुत्र सुरेन्द्र सिंह

1. मु0अ0सं0 43/24 धारा 393 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध पिस्टल 32 बोर।
2. 01 जिंदा कारतूस 32 बोर।
3. 02 खोखा कारतूस 32 बोर।
4. 01 चैन सोने की।
5. 01 मोटरसाइकिल अपाचे **लूट की घटना मे प्रयुक्त (मु0अ0सं0 345/20 धारा 379 थाना हाथरस जंक्शन से संबंधित)।**
6. 01 फर्जी नंबर प्लेट।
7. 01 सफेद अपाचे बिना नम्बर **(धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)।**

पुलिस टीम – प्रथम टीमः- उ0नि0 श्री जय प्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।
द्वितीय टीमः- निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद सरोज प्रभारी थाना फ्रेण्डस कालोनी, उ0 नि0 कृष्ण कुमार, उ0नि0 गंगासागर, का0 सनी शर्मा, का0 मोहित कुमार, का0 मनोज कुमार, का0 महेन्द्र पाल, का0 बृजेन्द्र पाल, ,का0 विकल कुमार, का0 कुलदीप कुमार, का0 चा0 शशिकान्त, का0 चा0 विक्रांत कुमार।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 20,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया है।